<u>न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला -बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कं.—835 / 2010</u> <u>संस्थित दिनांक—08.11.2010</u> <u>फाईलिंग क.234503000822010</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर जिला–बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — <u>अभियोजन</u>

// <u>विरुद्ध</u> //

1—अजीत पिता दिलीप मरकाम, उम्र—35 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—सियारपाठ बैहर, थाना—बैहर, जिला—बालाघाट(म.प्र.)

2—तरूण पिता किशोर ठाकुर, उम्र—35 वर्ष, जाति लोधी, निवासी—कम्पाउण्डर टोला बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—दिनेश सिंह पिता भूरासिंह ठाकुर, (मृत) निवासी—ग्राम ढोलपीटा, थाना साल्हेवाड़ा, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

4—अशोक कुमार पिता लखनलाल, उम्र—35 वर्ष, जाति कलार, निवासी—ग्राम भेलवाटोला, थाना रेंगाखार, जिला कवर्धा (छ.ग.)

5—चिखलेश पंचतिलक पिता स्व. मिश्रीलाल, उम्र—32 वर्ष, जाति मरार, निवासी—वार्ड नं. ७ कम्पाउण्डरटोला बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-19/11/2015 को घोषित)

1— आरोपी अजीत मरकाम व चिखलेश पंचतिलक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/34 के तहत् आरोप है कि उन्होंने दिनांक—20.08.2010 के शाम 4:00 बजे से दिनांक—25.08.2010 को शाम 5:00 बजे के मध्य पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर अंतर्गत माईन एरिया जीरो सेक्शन में रखे स्टॉक के कब्जे में रखे 02 टन मैंगनीज कीमत करीब 20,000/—रूपये को सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण

में उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की तथा आरोपी अशोक, दिनेश सिंह ठाकुर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—411 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर रखे मैंगनीज जो चुराई हुई संपत्ति थी, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया एवं आरोपी तरूण ठाकुर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—414 के अंतर्गत आरोप है कि उसने मैगनीज को व्ययनित करने में स्वेच्छया अन्य आरोपीगण की सहायता की, जिसके बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई संपत्ति है।

- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—25.08.2010 को सूचनाकर्ता तिहारीलाल बहारे, जो कि उकवा माईन में मुख्य सुरक्षा श्रमिक के पद पर कार्यरत् है ने पुलिस थाना रूपझर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई कि माईन एरिया 0 सेक्शन चितावर में मैंगनीज का स्टॉक रखा है। स्टॉक में 70 फर्मा मैंगनीज भरा हुआ था। दिनांक—20.08.2010 को शाम 4:00 बजे चैक करने पर माल रखा हुआ था। दिनांक—25.08.2010 को सुरक्षा कर्मी प्रदीप पटेल, दिलीप चौरिसया के साथ पेट्रोलिंग करने 0 सेक्शन पहुंचा तो स्टॉक में रखा मैंगनीज नीचे बिखरा हुआ था। उक्त स्टॉक चैक किया तो करीब 02 टन मैंगनीज माल कीमती 20,000/—रूपये का नहीं था। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना रूपझर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—92/10 धारा—379 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान उक्त घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, सूचनाकर्ता एवं साक्षियों के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध संदेह जाहिर किये जाने पर आरोपीगण को तलब कर पूछताछ कर उनके मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपीगण से चोरीशुदा संपत्ति जप्त की गई, साक्षीयों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपी अजीत मरकाम व चिखलेश पंचितलक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/34 के अंतर्गत तथा आरोपी अशोक, दिनेश के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—411 व आरोपी तरूण कुमार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—414 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उन्होने अपने कथन में स्वयं

को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

- 1. क्या आरोपी अजीत मरकाम व चिखलेश पंचतिलक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/34 के तहत् आरोप है कि उन्होंने दिनांक—20/08/2010 के शाम 4:00 बजे से दिनांक—25.08.2010 को शाम 5:00 बजे के मध्य पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर अंतर्गत माईन एरिया जीरो सेक्शन में रखें स्टॉक के कब्जे में रखें 02 टन मैंगनीज कीमत करीब 20,000/—रूपये को सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की ?
- 2. क्या आरोपी अशोक, दिनेश सिंह ठाकुर ने उक्त घटना दिनांक, समय पर रखे मैगनीज जो चुराई हुई संपत्ति थी, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया ?
- 3. क्या आरोपी तरूण ठाकुर ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में उक्त चोरी की गई मैगनीज को व्ययनित करने में स्वेच्छया अन्य आरोपीगण की सहायता की, जिसके बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई संपत्ति है ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष:-

5— फरियादी तिहारीलाल बहारे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता। घटना करीब 6 माह पूर्व की है। घटना दिनांक को वह उकवा माईन्स में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर पदस्थ था। घटना दिनांक को वह रात्रि 12:00 बजे जब ड्यूटी आया तो उसके साथी लोगों ने बताया कि ग्राम जगनटोला में सिमेन्ट की खाली बोरी मिली है तो उन लोगों ने वहां जाकर देखे तो वहां पर कुछ नहीं मिला था। उसे जानकारी नहीं है कि किस स्टॉक से कितना मैंगनीज चोरी हुआ था। उसने रिपोर्ट नहीं किया था केवल हस्ताक्षर करने गया था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 नहीं बनाया था, किन्तु उसके मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 में हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस

सुझाव से इंकार किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाना रूपझर में की थी। साक्षी ने उसके बताने पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 पुलिस द्वारा तैयार करने से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से इंकार कर दस्तावेजों पर पुलिस के द्वारा जबरदस्ती हस्ताक्षर कराया जाना बताया है। इस प्रकार साक्षी ने सूचनाकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण साक्षी होते हुए भी अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

दिलीप चौरसिया (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह उकवा माईन्स में वर्ष 2007 से मई 2011 तक सुरक्षा सैनिक के पद पर पदस्थ कार्य किया है। घटना लगभग 6 माह पूर्व की है। घटना के समय गश्ती के दौरान माईन्स एरिया के अंदर एक व्यक्ति को घुसते हुए पकड़े थे, जिसका नाम अजीत मरकाम था। आरोपी अजीत को लेकर माईन्स के गेट पर लेकर आये और अपने वरिष्ट अधिकारी को सूचित किये। सुबह आरोपी अजीत को पुलिस चौकी उकवा पहुंचा दिए थे। आरोपी ने उसके समक्ष कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं दिया था। पुलिस चौकी उकवा में उसने बताया होगा। पुलिस चौकी उकवा वालों ने उन्हें बुलाकर साथ में कम्पाउण्डर टोला बैहर गये थे और उस समय आरोपी अजीत भी साथ में ही था। उक्त स्थान से लगभग 02 टन मैंगनीज जप्त किये थे। आरोपी तरूण ने उसके समक्ष कोई मेमोरेण्डम बयान नहीं दिया था और लगभग 03 टन मैगनीज छत्तीसगढ़ बार्डर के पास से जप्त किये थे तथा साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जप्त किये थे। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 से लगायत 7 तक उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने आरोपी तरूण से ओमनी वाहन जप्त किया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसके समक्ष आरोपी अजीत से 2 टन मैगनीज जप्त किया तथा मैगनीज को आरोपीगण ने छुपाकर रखे थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने आरोपी दिनेश से उसके बताए अनुसार तीन टन मैगनीज व इलेक्ट्रॉनिक तराजू जप्त किया था तथा आरोपी अजीत की उपस्थिति में उक्त स्थान से मैगनीज जप्त हुआ था।

7— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि पुलिस वाले ने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—3 व जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—5 पर थाने में हस्ताक्षर कराया था और उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। साक्षी ने उसके सामने मेमोरेण्डम कथन लिये जाने और जप्ती कार्यवाही किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने किसी भी आरोपी से जप्ती की कार्यवाही होने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने मेमोरेण्डम व जप्ती कार्यवाही के पंच साक्षी के रूप में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

- 8— शिशुपाल (अ.सा,3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तरूण एवं दिनेश को जानता है एवं शेष आरोपीगण को नहीं जानता। आरोपी तरूण ने उसके सामने कुछ नहीं बताया था। आरोपी अजीत मरकाम को पुलिस ने पकड़ा था, जिसने अपने बैहर का पता बताया था। बैहर से क्या जप्त हुआ था, उसे नहीं मालूम। आरोपी दिनेश टाकरु से सालेवाड़ा से आगे कोई गांव ढोलपी था, वहां से मैगनीज तथा एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू मशीन उक्त दोनों सम्पत्ति आरोपी दिनेश से ढाबा से जप्त हुई थी, जो प्रदर्श पी—7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी तरूण से कोई संपत्ति जप्त नहीं हुई थी। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—4 एवं जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी दिनेश को उसके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—10 बनाये थे। आरोपी तरूण को उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—9 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी अशोक कुमार को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—11 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने तरूण ने मैगनीज रखा होना बताया था और उससे ओमनी वैन जप्त हुई थी।
- 9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आरोपी तरूण को उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया गया था। पुलिस ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—7 की लिखा—पढ़ी चौकी में की थी, जहां उसने हस्ताक्षर किया था तथा उक्त दस्तावेज उसे पढ़कर नहीं बताए गए थे। साक्षी का यह भी कथन है कि सामान पहले से रखा हुआ था और उसे गाड़ी में लोड कर लाए थे। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जप्ती अधिकारी के द्वारा मौके पर ही कथित जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी, बल्कि चौकी में की गई दस्तावेजी कार्यवाही पर साक्षी के हस्ताक्षर कराएं गए थे। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से अभियोजन मामलें को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

प्रदीप पटले (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह 10-न्यायालय में उपस्थित आरोपी अजीत को नहीं जानता है। वह शेष आरोपीगण को भी नहीं जानता। उसके सामने आरोपी अजीत से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने आरोपी अजीत से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अजीत को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने आरोपी अजीत ने अन्य आरोपी के साथ मिलकर मैगनीज चोरी कर मंदिर के पीछे छुपाकर रखना बताया था। साक्षी ने उक्त जानकारी पर कथित मैगनीज जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-5 के अनुसार जप्ती किये जाने और आरोपी की गिरफतारी किये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 व जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-5 पढकर नहीं देखा था तथा पुलिस वाले के कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि आरोपी अजीत से कोई पूछताछ नहीं की और न ही कोई जप्ती की गई। इस प्रकार साक्षी ने मेमोरेण्डम व जप्ती कार्यवाही के पंच साक्षी के रूप में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

11— अनंत वसंतराव मसादे (अ.सा.७) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—25.08.2010 को उकवा माईन्स में सुरक्षा सैनिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रात्रि में तिहारीलाल ने फोन से सूचना दी थी कि जीरो सेक्शन के पास रखा मैगनीज लगभग दो टन मैगनीज चोरी हो गया है। दिनांक—26.0810 को उसने स्थल निरीक्षण किया तो उसने लगभग उकवा माईन्स में रखे मैगनीज के अलग—अलग स्टॉको में से लगभग 6 टन मैगनीज चोरी होने का अनुमान लगाया था। उकवा माईन्स लगभग 6 किलोमीटर में फैली है, जिसमें लगभग 175 हेक्टेअर में मैंगनीज रखा रहता है। उसके द्वारा उकवा चौकी में रिपोर्ट करने के लिए तिहारीलाल को बताया गया था। उसे चौकी उकवा से जप्त मैगनीज की अयस्क का परीक्षण करने के लिए निवेदन किया गया था। परीक्षण कर उसने प्रदर्श पी—13 की रिपोर्ट दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें उसने जप्त मैगनीज के 15 से 46 प्रतिशत तक मैगनीज की मात्रा होना पाया था।

12— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने चोरी करते हुए किसी को नहीं देखा। साक्षी ने यह स्वीकार किया उसके द्वारा तिहारीलाल को लिखित में रिपोर्ट करने हेतु आदेशित नहीं किया। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मैगनीज की मात्रा 15 से 46 प्रतिशत बताई गई थी, वह उसने अनुभव के आधार पर बताया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि कथित घटना के समय मैगनीज की चोरी हुई थी, बल्कि साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि मात्र अनुमान के आधार पर कथित चोरी की रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध लेख कराई गई थी।

अनुसंधान कर्ता अधिकारी जगदीश गेड़ाम (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण 13-में कथन किया है कि वह दिनांक-28.08.2010 को चौकी उकवा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध क्रमांक-92 / 10, धारा-379 भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर साक्षी अनंत वसंतराव मसादे के कथन उसके बताए अनुसार लेख किया था। आरोपी तरूण को अपनी अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूछताछ करने पर तरूण के बताये अनुसार प्रदर्श पी-4 का मेमोरेण्डम कथन लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मेमोरेण्डम कथन में उसने बताया था कि आरोपी चिखलेश पंचतिलक एवं अजीत के साथ उकवा मैगनीज माईन्स से थोड़ा-थोड़ा करके मैगनीज मारूति वेन ओमनी में ले गये थे और ग्राम ढोलपीटा में ढाबे वाले दिनेश ठाकुर, अशोक धरमगुने को बेचा है। मैंगनीज वहीं रखा हुआ है, चलो चलकर बरामद करा देता हूं का कथन दिया था। उक्त दिनांक को ही तरूण ठाकुर से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 अनुसार ओमनी वैन कमांक-एम.पी-50/बी.सी-0382 मय दस्तावेज के जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी दिनेश से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 अनुसार मैगनीज एवं एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी तरूण, दिनेश को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 एवं प्रदर्श पी-10 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-01.09.2010 को आरोपी अशोक कुमार एवं दिनांक-22.10.2010 को आरोपी चिखलेश को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11 एवं प्रदर्श पी-12 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। यद्यपि साक्षी ने मामलें में आरोपीगण से पूछताछ किये जाने के पूर्व कथित शंका का कोई आधार प्रकट नहीं किया है और न ही उसके द्वारा की गई कथित मेमोरेण्डम व जप्ती कार्यवाही के समय का रोजनामचा सान्हा में इंद्राज करने के कथन किये गए हैं।

अन्य अनुसंधानकर्ता अधिकारी फूलचंद (अ.सा.४) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-25.08.2010 को चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन तिहारीलाल बहारे की मौखिक रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/2010, धारा-379 भा.द.वि. जो प्रदर्श पी-1 है लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जो प्रधान आरक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी द्वारा असल नम्बर पर अपराध क्रमांक-92 / 10, धारा-379 भा.द.वि. के तहत प्रदर्श पी-11 लेख किया गया था, जिस पर प्रधान आरक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-26.08.2010 को तिहारीलाल की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही दिलीप चौरसिया, प्रदीप पटले, तिहारीलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-27.08.2010 को संदेही अजीत कुमार को अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूछताछ कर उसके बताए अनुसार मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मेमोरेण्डम में आरोपी अजीत कुमार ने बताया था कि उसने आरोपी चिखलेश, तरूण कुमार के साथ ओमनी गाड़ी से रात्रि करीब 01:00 बजे उकवा आकर माईन्स एरिया के स्टाक में रखा मैगनीज करीब दो टन प्लास्टिक की बोरियों में भरकर ओमनी गाडी से दो ट्रीप में लादकर बैहर ले जाकर तरूण ठाकुर की बाड़ी में मंदिर के पीछे छिपाकर रखे हैं। उक्त दिनांक को अजीत कुमार से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार प्लास्टिक बोरी में रखा लगभग 2 टन मैगनीज जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी अजीत कुमार को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।🎺

- 16— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक—20. 08.2010 से दिनांक—24.08.2010 तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि रिपोर्ट दर्ज कराए जाने तक कब्जेदार को चोरी की जानकारी नहीं थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मौकानक्शा में उल्लेखित घटनास्थल के पास का स्थान झोपड़ी के रूप में दर्शित किया गया है। साक्षी के द्वारा तैयार किया गया मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 ने कथित मैगनीज पाए जाने वाले स्थान को ऐसे स्थान के रूप में बताया गया है, जहां सुरक्षाकर्मी रहते हैं और उक्त स्थान खुले हुए सार्वजनिक स्थान के रूप में आम रास्ते के पास का स्थान उल्लेखित किया गया है। ऐसी दशा में आरोपीगण की विशेष जानकारी में ही उनके बताए अनुसार कथित मैगनीज की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है।
- 17— सूचनाकर्ता तिहारीलाल बहारे (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में मामलें में दर्ज की गई कथित प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया है। अन्य महत्वपूर्ण साक्षी अनंत वसंतराब (अ.सा.10) ने मात्र अनुमान के आधार पर कथित मैगनीज चोरी होना बताया है। फरियादी की ओर से किसी भी साक्षी ने उसके आधिपत्य का मैगनीज घटना के समय चोरी होने का तथ्य स्पष्ट रूप से पेश नहीं किया है। ऐसी दशा में मामलें में कथित मैगनीज चोरी होना ही संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।
- 18— जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कथित मेमोरेण्डम, जप्तीपंचनामा कार्यवाही के महत्वपूर्ण पंच साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से नहीं किया है। उक्त साक्षीगण को पक्षिविरोधी घोषित किये जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने पुलिस के कहने पर उक्त दस्तावेजी कार्यवाही पर हस्ताक्षर कर दिए थे। साक्षीगण के कथन में परस्पर विरोधाभास होने से तथा साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार किये जाने से यह प्रकट होता है कि उनके समक्ष न तो आरोपीगण से मेमोरेण्डम की कार्यवाही की गई है और न ही कोई जप्ती की कार्यवाही की गई है। इन साक्षीगण को उकवा माईन्स में सुरक्षा गार्ड होने के कारण शामिल किया गया है। ऐसी दशा में उक्त पंच साक्षीगण का अभियोजन मामलें का समर्थन न करने से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है।

19— अभियोजन साक्ष्य से न तो यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय उकवा माईन्स से कथित मैगनीज की चोरी हुई थी और न ही जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही का पंच साक्षीगण से समर्थन प्राप्त होता है। मामलें में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट लेख किया गया है और आरोपीगण को कथित चोरी करते हुए किसी के द्वारा नहीं देखा गया है। जप्ती अधिकारी के द्वारा कथित जप्ती की कार्यवाही खुले स्थान से की गई है, जिसे आरोपी के ही विशेष जानकारी में कथित चोरी किये गए मैगनीज रखा होना नहीं माना जा सकता, विशेषकर उक्त खुले स्थान के समीप ही फरियादी उकवा माईन्स के सुरक्षाकर्मी के रहने का स्थान मौकानक्शा में दर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में जप्ती अधिकारी द्वारा की गई कथित मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद होने तथा उक्त कार्यवाही का किसी स्वतंत्र साक्षी व पंच साक्षीगण से समर्थन न होने से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह की परिधि में आता है, जिसका लाभ आरोपीगण को प्राप्त होता है।

उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी अजीत मरकाम व चिखलेश पंचतिलक ने दिनांक-20/08/2010 के शाम 4:00 बजे से दिनांक-25.08.2010 को शाम 5:00 बजे के मध्य पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर अंतर्गत माईन एरिया जीरो सेक्शन में रखे स्टॉक के कब्जे में रखे 02 टन मैंगनीज कीमत करीब 20,000 / - रूपये को सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की। अभियोजन ने यह तथ्य भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी अशोक, दिनेश सिंह ठाकुर ने उक्त संपत्ति को जो चुराई हुई संपत्ति थी, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया या आरोपी तरूण कुमार ने उक्त मैगनीज को व्ययनित करने में स्वेच्छया अन्य आरोपीगण की सहायता की, जिसके बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई संपत्ति है। फलस्वरूप आरोपी अजीत, चिखलेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 / 34 के अपराध एवं आरोपी दिनेश सिंह ठाकुर, अशोक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-411 के अपराध एवं आरोपी तरूण कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-414 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

21- आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

22— प्रकरण में आरोपी अजीत मरकाम दिनांक—27.08.2010 से दिनांक—06.09. 2010 तक एवं आरोपी दिनेश दिनांक—29.08.2010 से 06.09.2010 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं तथा शेष आरोपी अशोक, तरूण, चिखलेश अभिरक्षा में नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा—428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

23— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मारूति ओमनी एम.पी—50/बी सी—0382 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार तरूण कुमार को तथा जप्तशुदा इलेक्ट्रॉनिक तराजू सुपुर्ददार अशोक कुमार को एवं जप्तशुदा पांच टन मैगनीज व बैटरी, टॉयर, ट्यूब, बिजली का तार, हथौड़ी, गमबूट, एंकटबूट, पुरानी ड्रील रॉड सुपुर्ददार मैगनीज लिमिटेड उकवा खान को सुपुर्दनामे पर प्रदान किये गये है। अतएव उक्त सभी सुपुर्दनामे अपील अवधि पश्चात् अंतिम रूप से उक्त सुपुर्ददारों के पक्ष में माना जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट